भारत में संघीय व्यवस्था के बदलते आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
(2014 से वर्तमान तक)

राजनीतिक शास्त्र में पीएच. डी. की उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु

प्रस्तावित रूपरेखा

शोधार्थी

साक्षी दीक्षित

(शोध छात्रा)

शोध निर्देशिका

डॉ. रचना यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान विभाग

समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी)

दयालबाग, आगरा, 282 005

2023

प्रस्तावना:- "संघवाद एक राजनीतिक समझौता है, जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूरे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है" (Dicey, 1998)। **'संघ'** शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द **फेडरेशन** (FEDERATION) का हिंदी रूपांतरण हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द **'फोएडस'** (FOEDUS) से हुई है, जिसका अभिप्राय है **'संधि या समझौता'**। इस प्रकार संघीय शासन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसे विभिन्न इकाईयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है, जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य अपने कुछ सामान्य उददेश्यों की पूर्ति के लिए संघ सरकार संगठित करते है और शेष विषयों में अपनी- अपनी पृथक स्वतंत्रता सुरक्षित रखते है। इस प्रकार, संघ राज्य में एक संघीय सरकार होती है और कुछ संघीभूत इकाईयों की सरकारें होती है। संघ का निर्माण एक लिखित समझौता, जो एक संविधान का रूप होता है, के द्वारा होता है। संविधान द्वारा संघ व प्रान्तों की सरकारों के बीच शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट हैं कि संघ राज्य दोहरी सरकार है, यह दो प्रकार की दोहरी सरकारों का राज्य है। संघों की इकाईयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य (अमेरिका), कैंटोन (स्विट्जरलैंड), प्रांत (कनाडा एवं भारत) तथा गणतंत्र (रूस) में पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है: एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका। दूसरे मामले में, बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ राज्यों को स्वायत्तता होती है उदाहरण हेतु कनाडा। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। लार्ड हैलडेन ने "अमेरिकी संघ व्यवस्था को एक आदर्श संघ व्यवस्था कहा है" (Singh, 2006 :109)।

संघवाद की प्रमुख विशेषतायें:-

- लिखित संविधान
- सर्वोपरि एवं कठोर संविधान
- शक्तियों का विभाजन
- सर्वोच्च न्यायपालिका
- दोहरी शासन व्यवस्था

संघवाद के प्रतिमान:- प्राचीन समय से आज तक संघात्मक व्यवस्थाओं के अध्ययन से 3 प्रतिमान स्पष्ट रूप से प्रचिलित दिखाई देते हैं। किसी राजनीतिक व्यवस्था की विशेष परिस्थितियों के कारण संघात्मक शासन इन तीन प्रतिमानों में से किसी एक प्रतिमान में रखा जा सकता है। वैसे तों यह तीनों ही प्रवृत्तियां हर संघात्मक व्यवस्था में एक साथ विद्धमान रहती हैं, परन्तु कभी-कभी ऐतिहासिक या बाहरी घटनाओं के कारण इनमें से किसी एक की प्रमुखता इसे अन्य दो से अलग श्रेणी का बना देती है । यह तीन प्रतिमान निम्नलिखित हैं-

- सहकारी संघवाद
- सौदेबाजी संघवाद
- एकत्मकतावादी संघवाद

भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया है: देश का वृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का **अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों के संघ'** के रूप में परिभाषित करता है। डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अनुसार, **'राज्यों के संघ'** से दो बातें उभर कर सामने आती है: **1) अमेरिकी संघ के विपरीत, भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है** तथा 2) **राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके**। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। अतः उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है और इसमें कई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए **के. सी. व्हीयर** ने "भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय करार दिया है" (Wheare, 1951)।

भारत में संघीय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास- भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया गया था और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता था। सन 1861 में ब्रिटिश केंद्रीकृत प्रणाली में बदलाव आया और 1870 में लॉर्ड लिटन ने भूमि राजस्व, कानून, न्याय के विषयों को प्रांतों को सौंप दिया गया। इससे विकेंद्रीकृत

व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से 50 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया था। भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से सबसे पहले संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया, इस प्रकार भारत में संघवाद का जन्म हुआ। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के विविधतापूर्ण स्वरूप को पहचाना, और भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण न करके, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। अतः यह स्थिति भारत में संघीय प्रणाली को आवश्यक व महत्वपूर्ण बनाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया था, जिसके परिणामस्वरूप संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य था कि देश का आर्थिक, सामाजिक विकास एवं सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। इसके लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक था। साथ ही संघ व प्रांतों के मध्य एक सहयोगी भावना का होना भी आवश्यक था। इसके लिए प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान में **'फेडेरेशन'** के स्थान पर **'यूनियन'** शब्द के प्रयोग को उचित समझा। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात् इंडिया को **'राज्यों के संघ'** का दर्जा दिया गया।

भारतीय संघीय व्यवस्था का वर्तमान स्वरुप एवं चुनौतियाँ- भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद के आधार पर स्थित है। संघवाद स्थानीय स्वायत्तता की संवैधानिक गारंटी के साथ अति केंद्रीयकरण के रास्ते में संतुलित प्रभावी गतिरोध है। स्वतंत्रता से वर्तमान तक भारतीय संघ व्यवस्था ने नवीन स्वरूप को अपनाया है। 2014 के आम चुनावों में गठबंधन सरकार का युग समाप्त होकर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार अस्तित्व में आयी है, जिसने विकास के नाम पर जनमत प्राप्त किया है। प्रांतों के द्वारा स्वायत्तता की माँग ने संघ को नियंत्रित रखा है जिससे वो उनकी आवश्यकता का ध्यान रख सकें। वर्तमान में मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद को महत्व दे रही है, वहीं दूसरी ओर संघ व प्रांतों के मध्य एक विशेष प्रकार की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है। वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, जो कि निम्नलिखित है:-

- संघ-प्रांत सहयोग भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रारंभ से मुख्य विशेषता रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय संघीय प्रणाली के सुदृढ़ होने के साथ-साथ संघ व प्रांत संबंधों में अनेक तनाव के क्षेत्र भी उभरकर सामने आ रहे हैं। वर्तमान में अनेक ऐसे मुद्दें हैं जिनमें तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती क्षेत्रवाद की है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक सफल संघीय शासन होने की उपरांत भी देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हुई है। कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों के द्वारा

आक्रामक क्षेत्रवाद की मांग समय-समय पर की जाती रही है।

- वही संविधान के अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है, अब तक इसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में अनुच्छेद 356 के इतने अधिक बार प्रयोग करने को उचित नहीं माना जा सकता है। पिछले 75 वर्षों से अनुच्छेद 356 का प्रयोग लगातार किया जाता रहा है। सरकारें जिस किसी भी दल की रही हो, अनुच्छेद 356 के संबंध में मनोनुकूल व्याख्या की गई है।
- राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तथा संघ सरकार की इस नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर संघ व प्रांत संबंधों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। भारतीय संघीय व्यवस्था में अनेक अवसरों पर ऐसे दृश्य उपस्थित हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल अपनी निष्पक्ष एवं ईमानदार भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक एवं विशेष गरिमा वाला पद होने के साथ ही देश में संघीय ढांचे के तहत संघ व प्रांत सरकारों के बीच की प्रमुख कड़ी के रूप में माना गया है। संघ सरकार में परिवर्तन के साथ ही राज्यपालों के परिवर्तन की परम्परा सी बन गई है। इसका प्रमुख कारण हैं राजनीतिक लाभ-हानि की दृष्टि से निकटतम व्यक्तियों की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करना। इस संबंध में प्रांतीय सरकारों का यह आरोप रहता है की संघ सरकार राज्यपालों की नियुक्ति के समय उनसे परामर्श नहीं लेती है तथा अपनी ही विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त करती है।
- सत्ता विरोधी दलों एवं प्रांत सरकारों के द्वारा यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि संघ सरकार के द्वारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु सी.बी.आई. एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं इसका दूसरा पक्ष यह मानता है कि जिन प्रांतो में संघ से भिन्न दलों की सरकारें होती है, उनके ही द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाये जाते है। इसके अतिरिक्त संघ व प्रांतों के मध्य नौकरशाही संबंधी विवाद, वित्तीय व योजना संबंधी विवाद आज भी प्रमुख स्थान रखते हैं।

समस्या कथन

संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रही है। पिछले लगभग 75 वर्षों से भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तनों ने भारत में संघीय व्यवस्था की व्यवहारिक प्रकृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारत जैसे

विविधतापूर्ण देश की संघीय व्यवस्था निरंतर बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों के चलते विभिन्न परिवर्तनों की गवाह बनी है। भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यावहारिक प्रकृति विभिन्न दौरों में सत्तारूढ़ सरकारों के स्वरूप के अनुरूप परिवर्तित होती रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में संघवाद के अलग-अलग प्रतिमान मिलते हैं। इन प्रतिमानों के अंतर्गत यह कभी केंद्रीकृत संघवाद, तो कभी सहयोगी व सौदेबाजी संघवाद के रूप में देखा गया है। मई 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार का गठन किया गया है। सरकार के गठन के पश्चात् हुए विभिन्न राज्यों में चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें बनी तथा इस समय कई अन्य राज्यों में गैर-भाजपा एवं क्षेत्रीय दलों की सरकारें भी सत्तारूढ़ हुई है। प्रारंभ से ही भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद के आधार पर स्थित है। वर्तमान में जहाँ एक ओर भारत सरकार के द्वारा सहयोगात्मक संघवाद को महत्त्व दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संघ व गैर-भाजपा शासित राज्यों के मध्य एक विशेष प्रकार के संघर्ष की शुरूआत हुई है, जिसके चलते वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। जिसके अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न प्रांतीय सरकारों के द्वारा आक्रामक क्षेत्रीयतावाद, अनुच्छेद 356 के प्रयोग, विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाहियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वहीं प्रांतीय सरकारों के द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता है कि संघ सरकार के द्वारा राज्यपाल के संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रांतों व राज्यपालों के मध्य मतभेद की स्थिति बनी रहती है, राज्यपालों के द्वारा प्रांतीय सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से वर्तमान समय तक भारतीय संघीय प्रणाली के सुदृढ़ होने के साथ-साथ संघ व प्रांत संबंधों में विभिन्न तनाव के क्षेत्र भी उभरकर सामने आ रहे है। वहीं कुछ अन्य विवाद जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संकट, संघ व प्रांतों के मध्य नौकरशाही संबंधी विवाद, केंद्रीकृत योजना, संविधान की केंद्रीकृत संशोधन की प्रवृत्ति, एकहरी नागरिकता व संविधान का प्रावधान आदि भी प्रमुख हैं। इससे राजनीतिक शक्ति का झुकाव प्रांतो की तुलना में संघ सरकार की ओर अधिक होता जा रहा है, जिससे संघ सरकार कि स्थिति दिन-प्रतिदिन अत्यंत शक्तिशाली होती जा रही है, इसके परिणामस्वरूप प्रांतो के अधिकारों की उपेक्षा की स्थिति

निरंतर उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति संघ व प्रांतों के मध्य संबंधों को अत्यंत तनावपूर्ण व प्रतिस्पर्धात्मक बना रही है। अतः उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय "भारत में संघीय व्यवस्था के बदलते आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (2014 से वर्तमान तक)" का चुनाव किया गया है, जो कि वर्तमान समय में भारतीय संघ के स्वरूप के साथ-साथ संघ व प्रांतों के समक्ष उभरती विभिन्न चुनौतियों के अध्ययन पर आधारित होगा।

उददेश्य

- संघवाद की सैद्धांतिक अवधारणा का अध्ययन करना।
- भारत में संघीय व्यवस्था के विकास का अध्ययन करना।
- भारत में संघीय व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
- भारत में संघीय व्यवस्था के निरंतर बदलते आयामों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ व प्रांतों के मध्य उभरती चुनौतियों का अध्ययन करना।

साहित्य पुनरावलोकन

Majumdar and Singh (2000), के द्वारा भारत में केंद्र-राज्य संबंधों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध लेख में वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेखक का उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों के विभिन्न पक्षों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है तथा उत्तर-संवैधानिक युग में केंद्र-राज्य संबंधों में संवैधानिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया की कार्यवाही के अंतर्गत संभावित संघर्षों का परीक्षण करना है । लेखक ने केंद्र-राज्य संबंधों पर अपने विचार को कुल आठ अध्यायों में विभाजित किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख अध्याय निम्न प्रकार हैं: केंद्र-राज्य संबंधों का परिवर्तित प्रतिरूप, तदर्थ संघवाद बनाम संवैधानिक संघवाद, संघीय सिद्धांतों एवं संसदीय लोकतंत्र का नियोजन, भारतीय प्रशासन की संघीय संरचना केंद्र-राज्य वित्त की संघीय अवधारणा, औद्योगिक प्रशासन एवं विकास, पुलिस प्रशासन में केंद्र-राज्य की भूमिका आदि। अतः लेखक के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग कर केंद्र-राज्य संबंधों से आई समस्याओं के समाधान का विश्लेषण किया गया है । उनका मानना है अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्यीय परिषद तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से केंद्र व राज्य के मध्य बढ़ रहे अवसाद को कम करने हेतु एक सकारात्मक मंच के रूप में देखा जाना चाहिए।

Gaina (2001), लेखक के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में शासन-शक्ति के एक स्तर व एक से अधिक स्तरों पर वितरण

के आधार पर शासन व्यवस्थाओं के तीन प्रतिमान बताए हैं । लेखक ने संघवाद व एकात्मक व्यवस्था का वर्णनात्मक उल्लेख किया है । लेखक का उद्देश्य इन तीनों प्रकार के शासनों के मध्य विभाजन को स्पष्ट करना है । एकात्मक, परिसंघात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था में आधारभूत विभेद लक्षण अधीनता का सिद्धांत माना जाता है । अगर प्रादेशिक सरकारें केंद्र के अधीन है तो शासन व्यवस्था को एकात्मक, केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारों के अधीन होती है, तो परिसंघात्मक तथा केंद्रीय सरकार एवं प्रादेशिक सरकार एक-दूसरे के समकक्ष होती है तो यह संघात्मक व्यवस्था है । लेखक का मानना है संघात्मक व्यवस्था के विवरण से ही अन्य दोनों प्रतिमानों की राजनीतिक शक्ति के संगठन में उपादेयता को आंका जा सकता है । अंत में लेखक द्वारा संघवादी श्रेष्ठताओं का वर्तमान विश्व की जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं में आंकलन किया गया है ।

Mal (2004), ने इस पुस्तक में केंद्र-राज्य संबंधों का विस्तृत विश्लेषण किया है। लेखक के द्वारा वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है । प्रस्तुत लेखन का उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों पर 42वाँ संविधान संशोधन विधेयक, प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन राजमन्नार समिति का प्रतिवेदन एवं केंद्र-राज्य संबंधों पर संविधान की सातवीं अनुसूची का उल्लेख करना है। इसी प्रकार नियोजित आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, एवं सरकारिया आयोग आदि की प्रमुख मुद्दो पर प्रकाश डाला गया है। लेख में बताया गया है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में छोटे राज्यों की मांग भी अधिक व्यावहारिक नहीं है। अतः लेखक द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य विवाद एवं टकराव को संवैधानिक तरीके से हल किए जाने के साथ ही यह एक मजबूत केंद्र की वकालत करते है। अतः प्रस्तुत पुस्तक केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद एवं तनाव के क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है, साथ ही इस पुस्तक में संविधान में उल्लेखित केंद्र-राज्य विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्त संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उनके व्यावहारिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

Awasthi and Kaushik (2008), ने अपनी पुस्तक में भारत में संघवाद एवं राष्ट्रपति शासन का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में किया है। इनका अध्ययन मूलतः विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति आधारित है । इस लेख का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 356 को उसके सभी रूपों में देखना है तथा यह लेख ये जानने का प्रयास करता है कि जहाँ इसे लागू किया गया था क्या वहाँ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए था? संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा नाल के रूप में देखा था, क्या उसी प्रकार इसका

प्रयोग किया गया? यह पुस्तक भारतीय संघवाद के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करती है। यह पुस्तक मुख्यतः पांच अध्यायों में विभाजित हैं, जो कि क्रमशः भारत में संघीय विचार के विकास एवं आवश्यकता, अनुच्छेद 356 का विकास और संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया जाना, अनुच्छेद 356 से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और उसके विभिन्न कानूनी पक्ष, राज्यपाल की अनुच्छेद 356 के क्रियान्वयन में भूमिका, न्यायपालिका की अनुच्छेद 356 के संबंध में भूमिका का वर्णन करते है। अंत में लेखक के द्वारा अनुच्छेद 356 के आह्वानों आधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है।

Lobo, Sahu et al. (2014), ने अपनी पुस्तक में भारत में संघवाद तथा उससे संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों का केंद्र-राज्य संबंधों पर राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में प्रभाव का विश्लेषण किया है। लेखक ने वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति का प्रयोग किया है। लेखक के द्वारा इस पुस्तक में कुछ विशेष प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य किस प्रकार अंतर-सरकारी संघर्षों का प्रभावपूर्ण तरीके से समाधान करते है? सामाजिक, आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के अधिक न्यायसंगत वितरण की दिशा में कुछ क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपलब्ध तंत्र कितना संतोषजनक है? गांव व राज्य सरकारों के बीच किस तरह का संबंध बन गया है? और किस प्रकार यह शासन के संघात्मक स्वरूप को मजबूत या कमजोर करता है? अतः यह गंभीर रूप से इस तथ्य को सामने लाता है कि राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों द्वारा संघवाद का पक्ष रखना वास्तव में राष्ट्र में विकेंद्रीकरण की विचारधारा के खिलाफ़ काम करता है प्रभावी विकेंद्रीकरण हेतु, संविधान में कई मामलों में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं, उदाहरण हेतु राज्यपाल की भूमिका, वित्तीय वितरण और प्रशासनिक समस्या। इसलिए भारत के संविधान में वर्णित प्रावधनों और लेखों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के संघीय ढांचे की बेहतरी हेतु, भारत को केंद्- राज्य संबंधों में नये निम्न को देखते हुए शक्ति के एक नए संतुलन की आवश्यकता है।

Sharma (2015), के द्वारा भारत में संघवाद की पुनर्कल्पना सहयोगात्मक संघीय वास्तुकला की सीमाओं की खोज नामक लेख में संघीय शासन संरचना की समकालीन चुनौतियां पर ध्यान दिया गया है। लेखक के द्वारा इस लेख में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में संघीय व्यवस्था संरचना की चुनौती एवं समाधान प्रदान करना है। वहीं भारत में संघीय शासन संरचना में फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है। संघीय शासन के सहयोगी मॉडल से सहकारी मॉडल में परिवर्तन हेतु एक दिशात्मक बदलाव की आवश्यकता है। यह विभिन्न

अंतर्जात एवं बहिर्जात परिवर्तनों की अनिवार्यता को देखते हुए आवश्यक है। उदाहरण के लिए नागरिक समाज की बढ़ती मुखरता, क्षेत्रीय व स्थानीय राजनीतिक अभिजात वर्ग की बढती आत्म-जागरूकता, वैश्वीकरण, निजीकरण और केंद्रीय राज्य का पीछे हटना तथा नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीकृत/ श्रेणीबद्ध तंत्र के बजाय अंतर सरकारी समन्वयतंत्र पर राष्ट्रीय सरकार की बढ़ती निर्भरता। इस प्रकार लेखक नीति समन्वय प्राप्त करने के लिए सहयोगी संस्थाओं और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं के साथ भारत में संघीय अभ्यास को पूरा करने की संभावना प्रतिबिंबित करें।

Laskar (2015), के द्वारा भारतीय संघवाद के आयामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इन्होंने भारतीय संघवाद विषय पर वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक द्वारा भारतीय संघवाद पर संविधान सभा बहसों का तथा राजनीतिक नेताओं की भारतीय संघवाद को गढ़ने की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। विशेषतः आजादी के बाद तथा समकालीन समय में भारतीय संघवाद के स्वरूप व आयामों का परिवर्तित रुप तथा संघवाद के सम एवं विषम स्वरूप पर बल दिया है। अतः पुस्तक में भारतीय संघवाद के क्षेत्रीय व गैर-क्षेत्रीय दोनों पहलुओं सहित भारतीय संघवाद के संस्थागत एवं ऐतिहासिक विकास का विस्तृत विश्लेषणात्मक अवलोकन है। भारत में संघीय व्यवस्था का एक अद्वितीय स्वरूप विद्यमान हैं, इसलिए इसकी गतिशीलता, ऐतिहासिक विकास परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, जिससे समकालीन समय में इसकी परिवर्तित प्रवृत्ति को समझा जा सके।

Biswal (2016), अपने लेख में संघवाद के विषय में एक विस्तृत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं । इनके द्वारा वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य संघवाद का अर्थ, ऐतिहासिक संदर्भ, प्रकार व इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है तथा एकात्मक शासन से तुलनात्मक अध्ययन कर, प्रादेशिक स्तर पर शक्तियों के विभाजन पर चर्चा करना है। यह लेख स्पष्ट करता है कि एक संघीय शासन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह अभिकेंद्री या अपकेंद्री ताकतों के कारण हो सकता है। संघीय प्रणाली में यह आवश्यक है कि बुनियादी नीतियों का निर्माण तथा कार्यान्वयन समझौतों से हो ताकि सभी सदस्य इसमें भागीदार बन सकें। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, राज्यों के अधिकार भी संरक्षित रहे । अतः यह लेख 3 निष्कर्ष प्रकट करता है: पहला, समकालीन संघीय राजनीतिक व्यवस्था में साझा शासन तथा स्वशासन दोनों पाए जाते हैं दूसरा, एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता संवैधानिक आदर्श तथा ढांचे को मानने की आवश्यकता, समझौते तथा सहनशीलता की इच्छा को लोगों द्वारा कितना स्वीकार किया जाता है, पर निर्भर करता है। तीसरा एक संघीय व्यवस्था ने कितनी राजनीतिक सत्यता को समायोजित

किया है। यह उस व्यवस्था ने समाज की आवश्यकताओं को पर्याप्त अभिव्यक्त किया गया है या नहीं पर निर्भर करता है।

Naik and Kumar (2016), अपने लेख में संघवाद एवं भारत में राज्यों का पुनर्गठन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। लेखक के द्वारा वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेखक का मानना है कि हाल के दिनों में भारतीय संघ के भीतर संघीकरण की प्रक्रिया विवादास्पद हो गई है, विभिन्न स्तरों पर असमान संघीय विकास के कारण। इस संदर्भ में, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुद्दा संघीय ढांचे के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 1950 के दशक में नए राज्यों की मांग की प्रवृत्ति 'पहचान' पहलू पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में ध्यान क्षेत्रीय विकास पर स्थानांतरित हो गया है, विशेषतः सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरो के पहलुओं के लिए। भारतीय राजनीति में संघीय ढांचे को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना था और वहीं दूसरी ओर सभी भारतीय राज्यों में संघीय शासन में सुधार था। हालांकि राज्यों के बीच असमान विकास और समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों की कमी के कारण भारत में संघवाद को चुनौती मिली। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों, स्वयंसेवी समूह और नागरिक समाज संगठनों को उनके कथित भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए उनका द्वार खोल दिया। इसलिए किस राज्य के विभाजन, निर्माण या परिवर्तन का बहुत महत्व है और इस पर गहराई से चर्चा करने की जरूरत है।

Sharma (2016), ने पुस्तक में भारतीय संघ व्यवस्था तथा केंद्र-राज्य सम्बंधो की विस्तृत विवेचना की है। इनके द्वारा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेखक का उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों की विभिन्न पहलुओं व पक्षों पर प्रकाश डालना है। संघ व्यवस्था के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक को 9 अध्यायों में बांटा गया है। ये अध्याय क्रमशः निम्न है: भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति, केंद्र-राज्य संबंधों का विस्तृत विवेचन, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कावेरी नदी जल विवाद के विभिन्न पक्षों का व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्य के मध्य विवादास्पद स्थिति के कारणों व वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तावित किए गए हैं।

Narang (2016), प्रस्तुत लेख का शीर्षक नेहरू और उत्तर नेहरू युग में भारत में संघवाद, सीमाएं एवं चुनौतियां हैं । लेखक के द्वारा वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेख का उद्देश्य विभाजन व स्वतंत्रता की बात की अजीबोगरीब स्थिति में अपनाए गए संघवाद की प्रकृति का विश्लेषण करना है तथा नेहरूवादी एवं बाद की

अवधियों के दौरान केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण दोनों के संदर्भ में इसके व्यावहारिक रूप से हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार विविधता का प्रबंधन करने के लिए संघवाद एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इस संबंध में भारत में यह एक हद तक अच्छा किया है, वही यह अल्पसंख्यकों के न्याय के लिये रामबाण नहीं है। यह बहुसंख्यक समूह द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को अशक्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। इसीलिए संघवाद को केवल केंद्र-राज्य संबंधों या संवैधानिक शब्दावली के संदर्भ में ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकतों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। लेखक का इस संबंध में सुझाव है कि एक बहुस्तरीय लोकतांत्रिक और गैर-आधिपत्य वाली संघीय प्रणाली की आवश्यकता है, जो बाह्य एवं आंतरिक दोनों दबावों के लिये उत्तरदायी हैं और क्षेत्रीय रूप से केंद्रीत और फैले हुए अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करता है।

Bhattacharya and Mukharji (2017), प्रस्तुत लेख में भारतीय संघवाद एवं नृजातीय संघर्ष के प्रादेशिक प्रबंधन की सीमाओं के विषय में आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। यह लेख वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से केंद्रित भारतीय राज्यों को समायोजित करने के लिए क्षेत्रीय रणनीतियों की आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करता है। इस लेख में तेलंगाना राज्य के गठन 2014 और 2003 दो मामलों में अल्पसंख्यक समूह को समायोजित करने का अध्ययन किया गया है। 1950 के दशक से भारत में भाषाई राज्य पुनर्गठन के लंबे इतिहास को देखते हुए यह तर्क दिया गया कि भाषाई सिद्धांत आवश्यक था जैसे यह तेलंगना और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् के लिए था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Sivach (2017), अपनी पुस्तक में भारतीय संघवाद प्रणाली तथा उसकी प्रकृति एवं गतिशीलता का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। इस लेख का उद्देश्य भारतीय संघवाद प्रणाली के विषय पर विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों के विभिन्न मतों को प्रस्तुत करना है। इन विद्वानों को प्रमुखतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है एक वह जो मानते हैं भारतीय संघवाद में वर्णित संघात्मक व्यवस्था वास्तव में संघात्मक ही है और कुछ एकात्मक विशेषताओं के प्रावधान के साथ। वहीं दूसरी ओर इसे पूर्णता एकात्मक व्यवस्था मानते हैं जिसमें कि कुछ संघात्मक प्रावधान किए गए हैं। दोनों ही पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। निष्कर्ष रूप में लेखक का मानना है कि भारत में केंद्रीय सरकार का दबदबा तो है किंतु यह साथ में प्रतिस्पर्धात्मक भी है। लेखक प्रथकतावादी दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए इस पक्ष में कि केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, पर अपना समर्थन व्यक्त करता है तथा संविधान निर्माताओं के

इस विचार से सहमत है कि भारतीय संघात्मक प्रणाली का परिवर्तनशील व लचीला स्वरुप अपनाया।

Devpura (2018), ने अपने लेख में संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग का विस्तृत विवरणात्मक अध्ययन किया है। इनका उद्देश्य भारत में संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप व लक्षणों का विश्लेषण करना है तथा इसका मूल्यांकन करना कि क्या भारत एक सच्चा संघ है? भारतीय संविधान में संघ को अधिक शक्तियां दिए जाने के कारण वह राज्यों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अतः मुख्यतः इसी कारण से यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत वास्तव मैं एक सच्चा संघ है? संवैधानिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि केंद्र को राज्यों पर कई ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जिनसे वह राज्यों के आंतरिक मामलों में सरलतापूर्वक हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में संघवादी ढांचा अवश्य है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है।

Dev (2018), भारतीय संघवाद का वर्तमान समय में अध्ययन नामक लेख में भारतीय संघवाद की वर्तमान प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस शोध पत्र में लेखक द्वारा द्वितीयक स्रोतों से तथ्यों को लिया गया है तथा इसमें ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक व विवरणात्मक विधियों के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया गया है। उस संघीय संविधान के अनुसार जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई उसे राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली के 7 दशक बीत चुके है लेकिन इन 70 वर्षों में संघीय प्रणाली का स्वरूप समान नहीं दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने विश्व पटल पर आंतरिक तौर पर व्यापक परिवर्तन महसूस किया है। अतः इसका उद्देश्य संघवाद शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न संदर्भ व समयों का विश्लेषण करना है। लेखक का मानना है कि लोकतंत्र की भांति ही भिन्न-भिन्न लोगों ने संघवाद का भी भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया है। लेखक का कहना है कि शाब्दिक व वैचारिक प्रयोग ने इसके अर्थ को विकृत कर दिया है।

Kumar (2018), अपने लेख में भारतीय संघवाद की प्रकृति: ऐतिहासिक आधार और समस्याओं का विश्लेषण करता है। इनके द्वारा वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। संघवाद किसी देश के शासन के लिए जटिल सरकारी तंत्र का गठन करता है। यह एक राजनीतिक संघ में कई स्वायत्त विशिष्ट और अलग संस्थानों या प्रशासनिक इकाइयों को बांधता है। यह एक केंद्रीय बिंदु पर शक्ति की एकाग्रता के पक्ष में काम करने वाली ताकतों और कई इकाइयों में शक्ति के फैलाव के पक्ष में काम करने वाली ताकतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार संघवाद बहुलता के साथ एकता, विकेंद्रीकरण के साथ केंद्रीयकरण और स्थानीयता के साथ राष्ट्रवाद को समेटना

चाहता हैं। संघीय व्यवस्था की मौलिकता जो उस शक्ति में निहित है, एक ही समय में केंद्रित तथा साथ ही विभाजित है। कुछ क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में प्रशासन और कानून का केंद्रीयकरण होता है। इन संबंधों का स्वरूप स्थिर न होकर गतिशील है और देश में सक्रिय अभीकेंद्रीय व अपकेन्द्रीय बलों के जवाब में लगातार एक नया संतुलन ढूंढ रहा है, और यही कारण है कि अंतर-सरकारी संबंधों का विषय किसी भी संघीय संविधान के छात्र के लिए बहुत महत्त्व रखता है। भारत के संविधान के बारे में भी यही सच है जो एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों को मिलाकर एक बाहरी राजनीति स्थापित करता है।

Rekha (2018), प्रस्तुत शोध पत्रभारतीय संघवाद में छोटे राज्यों की मांग की राजनीति का उद्देश्य छोटे राज्यों के गठन की मांग के पक्ष व विपक्ष का विश्लेषण कर इसके औचित्य का परीक्षण करना है। से लेखक के द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय स्रोतों एवं विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। छोटे राज्यों के गठन के समर्थन में भाषाई तथा सांस्कृतिक आधार आर्थिक तत्व प्रशासनिक सक्षमता सुशासन जनता की प्रशासन में अधिकाधिक भागीदारी, भगौलिक तथा जनसांख्यिकीय, राजनीतिक आधार के रूप में तर्क दिये गए हैं, वही प्रस्तुत पक्षों के अतिरिक्त छोटे राज्य की मांग के विरोधी पक्षों का तर्क है कि भारत में छोटे राज्यों की बढ़ती मांग देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। क्षेत्रवादी संकीर्ण मनोवृत्ति पनपनी और असमाजिक तत्व व बाहरी शक्तियां द्वारा इसका लाभ उठाने का खतरा भी लगातार बना रहता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण की आधार पर निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में छोटी राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है इसकी मांग ने संघात्मक व्यवस्था को नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों दृष्टि से प्रभावित किया है।

Ghosh (2020), ने भारत में केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले संघीय व्यवस्था तथा उसकी चुनौतियों का विश्लेषण किया है। लेखक के द्वारा वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेख का उद्देश्य भारतीय संघवाद का इसके उदय से लेकर समकालीन समय तक चार अलग-अलग समयकाल में देश के संघीय ढांचे के इतिहास को रेखांकित कर भारतीय संघवाद पर चर्चा में एक अस्थायी रूपरेखा प्रदान करना है। यह दिखाता है कि प्रचलित राजनीतिक घटकों के द्वारा किस प्रकार अलग-अलग समय पर भारतीय संघ व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। यह भारतीय संघीय प्रतिक्रिया का समय से साथ विभिन्न राजनीतिक कारकों द्वारा निर्धारित प्रतिरूप पर प्रकाश डालता है तथा भारत के संघीय प्रतिरूप को मजबूत करने हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करता है। यह इस बात का विश्लेषण करता है कि कैसे राजनीतिक कारकों के द्वारा संघ

सरकार की शक्तिशाली स्थिति के बावजूद क्षेत्रीय दावों को सुविधाजनक बनाया है। अतः यह लेख केवल उन राजनीतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनके कारण भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का क्षेत्रीयकरण और संघीकरण हुआ है ना कि अन्य संघवाद से जुड़े पहलुओं का।

Shukla (2020), के द्वारा 1947 से 2014 तक भारतीय संघीय व्यवस्था का आकार का विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें लेखक के द्वारा वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक रूप से भारतीय संघीय व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। इस पत्र का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संघीय व्यवस्था की यात्रा का पता लगाने की कोशिश करना है। लेखक भारतीय संघीय व्यवस्था एवं उसके कामकाज में उन परिवर्तनों के कारणों को समझने की कोशिश करता हैं, जिनके द्वारा भारत की संघीय व्यवस्था को आकार देने में बदलते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अपनी तरह की अनूठी है और इसमें कई गतिशील विशेषताएं हैं, जो कि भारतीय संघवाद को अनोखा बनाती है। पत्र इस बात का भी उल्लेख करता है कि कैसे आर्थिक उदारीकरण ने राजनीतिक और संघीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। यह पत्र परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न समयकालों में विभाजित है। अतः अंत में इसके निष्कर्ष रूप में लेखक का मानना है कि भारत की विविध संस्कृति एवं राजनीतिक व्यवस्था को इस के संघीय ढांचे में आसानी से पाया जा सकता है।

Meena (2021), अपने लेख में भारत में संघवाद के समकालीन स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। यह लेख वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत में संघीय व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप का मूल्यांकन करना है। केंद्र-राज्यों के मध्य समय-समय पर विभिन्न मुद्दे उभरते रहे हैं। इनका मानना है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करके केंद्रीकृत नियोजन की परंपरा को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता से वर्तमान तक भारतीय संघवाद एक नवीन स्वरूप में आकार लिया है। 2014 में आम चुनावों में गठबंधन सरकार का युग समाप्त होकर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार अस्तित्व में आयी, जिसने विकास के नाम पर स्पष्ट जनमत प्राप्त किया। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग ने भी केंद्र को नियंत्रित रखा है जिससे वह उनकी आवश्यकता का ध्यान रखें। लेखक का मानना है कि वर्तमान में मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद को महत्व देने में जोर लगा रही है। अंत में लेखक का सुझाव है कि केंद्र सरकार को निर्णय करते समय संबंधित राज्यों से भी परामर्श अवश्य करना चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान में केंद्र-राज्यों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

Annigeri, Hanagodimath, et al. (2022), ने संघवाद एवं क्षेत्रवाद के अंतरसंबंध व प्रभाव का विश्लेषण किया है। लेखक के द्वारा वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेखक का उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय असंतुलित विकास का परीक्षण करना है तथा साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों पर बल देते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को कम हेतु संभावित उपाय व प्रयासों को प्रस्तावित करना है। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के लिये अपने औपनिवेशक भूतकाल को जिम्मेदार माना जाता रहा है, यद्यपि वर्तमान काल में सुनियोजना के दौर में भी भारत इस समस्या से जूझता हुआ नजर आ रहा है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, अर्थात इसकी अपनी कुछ विशेषताएं व कमियां भी हैं। किसी भी संघीय इकाई को संसाधनों के वितरण में उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों प्रकार के असंतुलनों की संभावना का अनुभव अवश्य होता है। अतः लेखक के द्वारा संतुलित विकास पर महत्त्व दिया गया है तथा समुदायों हेतु विकास के बेहतर परिणामों के लिए संतुलित विकास के महत्त्व को जानना है।

Singh (2022), ने भारत में संघवाद के द्वारा एक नव-संस्थागत विस्तृत विश्लेषण किया है, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था का वैश्विक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करती है। यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति आधारित है। लेखक का उद्देश्य भारतीय संघीय व्यवस्था को समझना एवं विश्लेषण करना है, यह पुस्तक मुख्यतः संघीय व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास का उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, एशिया व अफ्रीका क्षेत्रों में परीक्षण करती है। यह उत्पत्ति एवं इतिहास के साथ- साथ समकालीन राजनीति की भी चर्चा करती है। यह संघवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संघवाद, राजकोषीय संघवाद, संघीय ढांचा, संघीय पारिस्थितिकी तंत्र और न्यायिक संघवाद सहित सहायक संघीय सुविधाओं का परीक्षण करती है। अंत में यह पुस्तक जटिल एवं विविध समाजों जैसे भारत हेतु संघवादी व्यवस्था के मूल्यों व लोकतंत्र की सफलता एवं राष्ट्र की एकता हेतु आवश्यक शर्तों पर ध्यान केंद्रित करती है।

परिकल्पना

- भारतीय संघीय व्यवस्था की सैद्धांतिक अवधारणा संघवाद के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है।
- भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यावहारिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील रही है।
- वर्तमान में भारत में संघीय व्यवस्था का संघर्षात्मक स्वरूप विकसित हो रहा है।
- भारतीय संघीय व्यवस्था का झुकाव प्रांतो की तुलना में मजबूत संघ की ओर है।
- वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है।

सैद्धांतिक रूपरेखा

संघवाद की अवधारणा की व्याख्या करने में संघवाद के सिद्धांत की दो प्रमुख श्रेणियों को जन्म दिया है। ये सिद्धांत क्रमशः 1**. संघवाद का शास्त्रीय या परंपरागत सिद्धांत**, एवं 2. **संघवाद का आधुनिक सिद्धांत** है। संघवाद का परंपरागत सिद्धांत मूलतः संघवाद की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है। संघवाद के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादको में **ए.वी. डायसी, हैरिसन मूर, ज़ेथ्रो ब्राउन, रॉबर्ट गैरन, ब्रायस व के.सी. व्हेयर** आदि प्रमुख हैं। संघवाद की परंपरागत धारणा का संकेत दोनों ही स्तर की सरकारों में अन्तःक्रिया के ऐसे प्रतिमान की तरह है, जिसमें प्रत्येक स्तर की सरकार की अपने अधिकार क्षेत्र में पृथकता एवं स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है (Sharma, 2016 :37)। यह धारणा आज के विश्व की प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में निर्णय प्रक्रियाओं की जटिलता की अनदेखी करती है। वर्तमान समय में संघीय सरकारों के निर्णय न केवल राज्यों की सरकारों के निर्णयों से मुक्त रह पाते हैं, बल्कि अनेक राजनीतिक शक्तियो व संगठनों के कार्यकलापों से भी नियमित, सीमित एवं प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते है। शास्त्रीय सिद्धांत के मान्यताकारों ने प्रत्येक सरकार की स्वतंत्रता को वास्तविक एवं सुरक्षित बनाने के लिए एक संघीय व्यवस्था हेतु निम्नलिखित शर्तों को आवश्यक माना है जो निम्नलिखित है, 1. **लिखित संविधान** 2. **कठोर संविधान** 3. **स्वतंत्र न्यायपालिका** 4. **सरकार के दोनों स्तरों द्वारा नागरिक हेतु प्रत्यक्ष कार्य किया जाना** तथा 5**. प्रत्येक स्तर पर सरकार के लिए राजस्व के पर्याप्त स्रोतों का आवंटन होना आदि को महत्वपूर्ण माना (**Paleker, 2006)। अतः प्रस्तुत कानूनी ढांचे से संबंधित दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय संविधान संघीय है, यद्यपि उनकी संघीयता की मात्रा के विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है। **के. सी. बीयर, एलेक्जेंड्रोविच एवं डीन पाल एपिलबी** इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विदेशी विद्वान है। इस संबंध में **के. सी. व्हीयर** ने कहा है कि "भारतीय संघ अधिक-से-अधिक अर्द्धसंघ है"। (Wheare,1950) उनकी यह विचारधारा भारतीय संविधान के विधिवत अध्ययन पर आधारित है। इसके विपरीत, **एलेक्जेंड्रोविच** के अनुसार अर्द्ध-संघ का विचार ही त्रुटिपूर्ण है, या तो कोई राजनीतिक व्यवस्था संघीय होती है, या फिर होती ही नहीं है। **एलेक्जेंड्रोविच** की धारणा है कि भारतीय संघ कानूनी दृष्टि से पूर्ण संघ है क्योंकि जो तत्व या लक्षण संघीय व्यवस्था में पाये जाते हैं, वे सभी लक्षण भारतीय व्यवस्था में स्पष्टता से मिलते है, परन्तु वे यह भी मानते हैं कि भारत में राज्यों की

तुलना में केंद्र का पक्ष अधिक शक्तिशाली है (Alexandrowicz, 1957:402)। **एपिलबी.** ने संवैधानिक ढांचे पर दृष्टिगत रखते हुए कहा है कि भारत में देखने में तो केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में राज्यों की शक्तियां भी कम नहीं हैं। उनकी मान्यता है कि यदि राज्य यहाँ निश्चित कर लें कि उन्हें केंद्र की नीतियों का कार्यान्वयन नहीं होने देना है तो केंद्र को अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है (Mal, 2004)। इस सिद्धांत की मान्यताओं के फलस्वरूप **रोनाल्ड जे. एम.** ने संघवाद की परंपरागत धारणा को विसंगतियो से युक्त बताया है। प्रथम संघ व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत संघ-प्रांत सरकारों की पारस्परिक निर्भरता की अवहेलना करता है। यह सिद्धांत न तो किसी प्रकार के अंतर-संबद्धता को स्वीकार किया है और ना ही किसी प्रकार की अंतक्रिया को इसमें स्थान मिला है (Ronald, 1970 :199-215)। वही भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं की औपचारिक विवेचना संविधान की गतिशीलता की उपेक्षा करती है। संविधान एक अस्थिपंजर मात्र है जिसे दलीय राजनीति से जीवन और रक्त प्राप्त होता है। (Mal, 2004 : 3) अतः जब एक ही राज्य में दोहरी सरकारें स्थापित होती हैं, तो आधारभूत मान्यता उनमें सुनिश्चित सहयोग की होती है। इसलिए संघवाद के परंपरागत सिद्धांत का दोनों स्तर की सरकारों को पृथक, स्वतंत्र व अनन्य मानना संघ व्यवस्था के सिद्धांत की संकुचित व्याख्या करता है। संघवाद के परंपरागत विचार में दूसरी असंगति यह है कि एक वैधानिक दृष्टिकोण व्यवस्था के आंतरिक कार्य की उपेक्षा करने के कारण सत्ताधिकारों के निर्दिष्ट विभाजन के अंतर्गत होने वाली वास्तविक परिवर्तनों की विवेचना करने में विफल रहता है। यह बिल्कुल संभव है कि परिवर्तनशील वास्तविकताओं की प्रक्रिया के साथ ही संघ व प्रांतों की अपनी-अपनी भूमिकाओं का महत्त्व भी बदल सकता है। अतः यहाँ आवश्यक है कि केंद्र-राज्य संबंधों की गतिशीलता का अध्ययन किया जाए। **रोनाल्ड जे. एम.** इसी कारण संघवाद के परंपरागत दृष्टिकोण को आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं मानते है। **रिक्कर** ने परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना 'अत्यधिक विधिवादिता' बताकर की और सुझाव दिया कि 'संघवाद को किसी संवैधानिक बात की बजाय संघटनाओं की श्रृंखला' के रूप में समझा जाना चाहिए (Mal, 2004)।

संघ व्यवस्था का आधुनिक दृष्टिकोण वर्तमान परिस्थितियों में राजनैतिक व्यवस्था की अव्यवस्थित गत्यात्मक शक्तियों एवं उनकी कार्यविधि की जटिलताओं में संघात्मकता का सिद्धांत भी सम्मिलित है। प्रचलित संघीय व्यवस्थाओं की

जटिल कार्यविधि से संघ व प्रांतो के संबंधों में न केवल नवीन आयाम उभरे हैं, बल्कि तथ्यों एवं पारस्परिकता की नवीन प्रवृतियों ने संघवाद की पुनः व्याख्या को अनिवार्य बना दिया है। **मारकस. एफ. फ्रेंडा** ने संघवाद की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "संघवाद एक स्थिर मॉडल या राजनीतिक संगठन का सूत्र ना होकर यह जन आधारित दलों, व्यापक नौकरशाही, विविध प्रकार के अनेक हित समूहों तथा वृद्धिरत कार्यों वाली निर्वाचित सरकारों की अंतःक्रिया से उत्पन्न निरंतर परिवर्तनशील व्यवस्था है (Franda, 1970: 199-215)। वर्तमान परिपेक्ष्य में राजनैतिक शक्ति के नवीन पहलू महत्वपूर्ण बन गए हैं। राजनीतिक समाजों में विचारधाराओं में बदलाव तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक तथ्यों के प्रभाव के माध्यम से सरकारों के कार्यों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते है। इन परिस्थितियों में एक ही राजनीतिक व्यवस्था में कार्यरत संघ व प्रांतीय सरकार एक-दूसरे से पृथक रहकर स्वतंत्र तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सीमित किस प्रकार रह सकती है? संघ व प्रांत सरकारों के प्रथक क्षेत्र एवं स्वतंत्र अधिकार-क्षेत्र में इसका सीमितपन मात्र सैद्धांतिक ही रह गया है। वर्तमान समय में इसे व्यावहारिक नहीं माना जा सकता (Gena, 2001 : 521)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संघवाद सहयोग की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जड़ता नहीं बल्कि गत्यात्मकता एवं सजीवता दृष्टिगोचर होती है। यह अवधारणा **अमल रे** के अनुसार इस बात से स्पष्ट होती है कि "संघीय व्यवस्थाओं मे दो प्रकार की सत्ता को राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी के रूप में रखा जाता है" (Rey, 1966)। वर्तमान में समाज इतने एकीकृत हो गये है कि संघ व प्रांतों के क्षेत्रों का सुनिश्चय अव्यावहारिक हो गया है। सामान्यतः इन दोनों के अधिकार-क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को ढकते हुए प्रतीत होते हैं। इन सब तथ्यों के फलस्वरूप आधुनिक राजनीतिक समाज में संघवाद एक गतिशील सहयोग की प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा है। **मॉरिस जोन्स, मारकस. फ्रेंडा तथा अशोक चंदा** ने भारतीय संघ व्यवस्था का व्यावहारिक अध्ययन विशेषकर नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया है। **मौरिस जोन्स** ने लिखा है कि भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक सौदेबाजी की ध्वनि भी निकलती है। (Jones, 1971 : 150) **मारकस. फ्रेंडा** के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि उसकी विभिन्न रूप हैं। विभिन्न राज्यों के संदर्भ में संघीय व्यवस्था ने एक गतिशील रूप धारण किया है। (Franda,1970) अतः स्पष्ट है कि संघवाद के परंपरागत विश्लेषकों ने अपनी परिभाषाओं में संघ और प्रान्तों को एक-दुसरे से बिलकुल अलग

स्वतन्त्र रूप में प्रस्तुत किया है वही दूसरी और आधुनिक व्याख्याकारों ने इसकी व्युत्पत्ति तथा इसके कार्यात्मक सिद्धांतों का समन्वय कर दोनों को एक – दुसरे के पूरक बताते हुए प्रशासनिक सहयोग, परस्पर निर्भरता जैसे नवीन लक्षणों को उजागर किया है, जो सहयोगात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते है ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध-प्रस्ताविका में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति को अपनाया जाएगा। इस शोध-प्रस्ताविका में तथ्यों का संकलन मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों पर आधारित होगा। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत सरकारी दस्तावेज व प्रतिवेदन एवं दस्तावेज व ज्ञापन सहित विभिन्न आयोगों की सिफारिशें आदि का प्रयोग किया जायेगा। द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत मुख्यतः पुस्तक, लेख, समाचार पत्र-पत्रिकाए, संपादकीय लेख, इंटरनेट वेबसाइट्स और अन्य प्रकाशित व अप्रकाशित दस्तावेज आदि का प्रयोग किया जाएगा।

अध्ययन का महत्त्व

प्रस्तुत शोध भारत में संघीय व्यवस्था के बदलते आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर उसके समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के अध्ययन पर आधारित होगा, साथ ही यह शोध भारतीय संघीय व्यवस्था के वर्तमान व्यावहारिक स्वरूप के विश्लेषण पर आधारित होगा। शोध का परिणाम राजनीति विज्ञान के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, इसके द्वारा वे भारतीय संघीय व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप की समझ विकसित कर सकेंगे तथा साथ ही यह शोध भावी शोधार्थियों हेतु निर्देशित संदर्भ-ग्रंथ प्रदान करेगा। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक विद्वानों, दार्शिनिकों व भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को सम्मिलित किया जायेगा, जिससे शोध के विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। ये परिणाम भविष्य में नीति-निर्माताओं हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकेगें। इस शोध अध्ययन में सभी महत्वपूर्ण एवं नवीनतम तथ्यों व आंकड़ों का समावेश किया जायेगा तथा संघ-प्रांत संबंधी विभिन्न समितियों व आयोगों की सिफारिशों पर प्रकाश डाला जायेगा, जिससे प्राप्त सुझाव व परिणाम के आधार पर भावी शोधार्थियों को भारतीय संघीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न मायनों में

अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकेगा।

प्रस्तावित अध्याय-

- प्रस्तावना
- भारत में संघवाद का विकास एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि
- भारतीय संघीय व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप
- संघीय व्यवस्था के बदलते विविध आयामों की तुलना (1947 से वर्तमान तक)
- संघीय व्यवस्था के समक्ष उभरती चुनौतियां
- निष्कर्ष एवं सुझाव

सन्दर्भ सूची :-

- Awasthy, S.S., & Kaushik, V. D. (2008). *Federalism & President's Rule in India: A Historical Analytical Study of Article 356 of the Indian Constitution*. Delhi: Book Age Publications.
- Arora, B., Kailas, K.K. Saxena, R., And Suan, H.K.K.(2013). Indian Federalism. *Research Gate*, pp. 15-16 at https://www.researchgate.net/publication/298630721_Indian_Federalism accessed on July 28, 2022
- Annigeri, V.B. et. al.(ed.) (2022). Federalism and regionalism. New delhi: Rawat Publications.
- Bhattacharyya, H., Hausing, K. K. S. and Mukherjee, J. (2017). Indian federalism at the crossroads: Limits of the territorial management of ethnic conflict. New York and London: Routhledge, at https://www.researchgate.net/publication/334349491_Indian_federalism_at_the_crossroads_Limits_of_the_territorial_management_of_ethnic_conflict accessed on September 2, 2022
- Chandran, L. (2021). Nature of Federalism in India: An Overview. *International Journal of Law Management & Humanities* [Vol. 4 Iss 3; 698] [ISSN 2581-5369], pp. 698 – 709 at https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/Nature-of-Federalism-in-India-An Overview.pdf&ved=2ahUKEwjq_Mib7IT6AhWVRmwGHa3DCKgQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw2EZBF9_Ubo46VRyxzGhij- accessed on September 8, 2022
- Daicey, A. V. (1998). *Law of the Constitution.* Noida: Mayur Paper Bux.
- Devpura, V. (2018). *Bhartiya Rajya Vyavstha*. Delhi: K. K. Publications, Pp. 150-182
- Dume, A., Kulkarni, L. (2022). Regional Disperity, edit. by Vinod b. Annigeri et. al. in the book *Federalism And Regionalism*. New Delhi: Rawat Publication.

- Gena, C. B. (2001). *Tulnatmak Rajniti Evam Rajnitik Sansthayen.* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Pp. 509-534
- Ghosh, A.K. (2020). The Paradox of 'Centralised Federalism': An Analysis of the Challenges to India's Federal Design. Kolkata: *ORF (Observer Research Foundation*) at https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/09/ORF_OccasionalPaper_272_Federalism_.pdf accessed on July 20, 2022
- Jones M. (1971). *Government and Politics of India.* London: Hutchinson. p. 150
- Kumar, C. (2014). Federalism in India: A Critical Appraisal. Research Gate : *Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR) ISSN No: 2319-5614 Volume 3, No.9, at* https://www.researchgate.net/publication/333309772_Federalism_in_India_A_Critical_Appraisal accessed on July 21, 2022
- Kumar, M. (2018). Nature of Indian Federalism: An Analysis of Historical Basis and Problems. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), ISSN (Online): 2319 – 7722, Volume 7 Issue 1.* pp. 42-47 at http://ijhssi.org/papers/vol7(1)/Version-1/G0701014247.pdf accessed on July 21, 2022
- Lobo, L., Sahu, M. and Shah, J. (ed.) (2014). *Federalism in India: Towards A Fresh Balance of power*. New Delhi: Rawat Publications.
- Lashkar, M.A. (2015). Dynamics of Indian Federalism: A Comprehensive Historical Review. Chennai: Notion Press
- Mal, Puran (2004). *Bhartiya Sarkar evam Rajniti Shrinkhla: Kendra- Rajya Sambandh*. Jaipur: Aavishkar Publishers, Distributors.
- Majumdar, A.K. & Singh, B. (Eds). (2004). *Centre-State Relation in India*. Jaipur: RBSA Publisher.
- Mehar, R.K. (2016). Sanghvaad, edit. by Tapan Biswal in this Book. *Tulnatmak Rajniti: Sansthayen aur Prakriyayen*. Hyderabad: Orient Blackswan Pvt. Ltd., Pp. 410-434
- Malik, M.A. (2019). Changing Dimensions of Federalism in India: An Appraisal. *ILI Law Review* Vol. II at https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ili.ac.in/pdf/mam.pdf&ved=2ahUKEwjbhKLA6YT6AhVdhYKHQfEAAoQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw3hX5hDEbYbAXOtugMbunZO accessed on September 8 2022
- Meena, N. (2021). Bharat me Sanghvaad ka Samkaleen Swaroop. *International Journal of Political Science and Governance* pp.162-163 at https://www.journalofpoliticalscience.com/uploads/archives/4-2-3-901.pdf retrieved from August

26, 2022

- Narang, A. S. (2012). Federalism in India during the Nehru and Post-Nehru Periods: Limitations and Challenges. New Delhi and London: *SAGE*. at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1028.2581&rep=rep1&type=pdf accessed on July 21, 2022
- Naik, S. K. and Kumar, V. A. (2016). Federalism and the Formation of States in India. Bangalore: *The Institute for Social and Economic Change*, at http://www.isec.ac.in/WP%20378%20-%20Susant%20Kumar%20Naik%20-%20Final.pdf accessed on July 21, 2022
- Rey, A. (1966). *Inter-Governmental Relations in India: A Study of Indian Federalism.* Mumbai: Asia Publishing House. Pp. 6-7
- Ronald, J.M. (1970). Decisions Making and Stability in Federal System. *Canadian journal of Political Science* Vol. 3 No.1 Pp. 199-215
- Sharma, P. K. (1979). *Federalism and Political Development: Developed and Developing Areas. Delhi*: Pragati Publications.
- Sharma, C. K. (2015). Reimagining Federalism in India: Exploring the Frontiers of Collaborative Federal Architecture. Journal Issue: *Asia Pacific Social Science Review*, *Research gate* at https://www.researchgate.net/publication/305045609_Reimagining_Federalism_in_India_Exploring_the_Frontiers_of_Collaborative_Federal_Architecture_Journal_Issue_Asia_Pacific_Social_Science_Review_151 accessed on July 21, 2022
- Sharma, D. (2016). Bhartiya Sangh Vyavastha: Kentra- Rajya Sambandh. New Delhi: Rawat Publications.
- Sharma, C. K. & Swenden, W. (2017). Continuity and change in contemporary Indian federalism. London and New York: *Routhledge*, pp.1-13, at https://www.researchgate.net/publication/334360155_Continuity_and_change_in_contemporary_Indian_federalism accessed on July 20, 2022
- Sivach, J. R. (2017). *Bharat Ki Rajnitik Vyavastha.* Panchkula: Hariyana Granth Academy Pp. 26-42.
- Sharma, C.K. (2019). Indian Federalism: An Evolving Concept. *Research Gate,* at https://www.researchgate.net/publication/335611802_Indian_Federalism_An_Evolving_Concept retrieved from July 5, 2022
- Shukla, V. B. (2020). The Shaping of Indian Federal System from 1947 to 2014: An Analysis. Shodh Sarita, *An International Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal*, Research gate. at

https://www.researchgate.net/publication/345247683_The_Shaping_of_Indian_Federal_System_from_1947_to_2014_An_Analysis accessed on 21 July, 2022

- Singh, M. P. (2022). *Federalism in India*. New Delhi: SAGE Publishing.
- Wheare, K.C. (1951). *Federal Government*. London: Oxford University Press.